राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 40/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 22.09.2017 **निर्णय दिनांक :** 03.11.2017

राजस्थान सरकार बनाम मिश्रीलाल पुत्र पदमाराम जाति जागिड़ नि0 पांचवा

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिश्रीलाल पुत्र पदमाराम जाति जागिड़ निवासी पांचवा नें ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 383 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर में से रकबा 1.43 हैक्टर किस्म गै.मु. जाव, चाही, भूमि पर सम्वत 2074 में कास्त (बाजरा 0.50 है0) व कब्जा कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल स्वय ने प्राप्त कि। गैर सायल उपस्थित हुआ। तथा जवाब एवं कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गये।

गैर सायल आज दिनांक को अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैर सायल का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायल ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 383 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर गै.मु. जाव, चाही भूमि में से रकबा 1.43 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगाान 16.02 का पच्चास गुणा से राशि 801/– अक्षरे आठ सौ एक रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली

लगातार

हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को फसल निलामी व गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भींमसिंह लखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0